

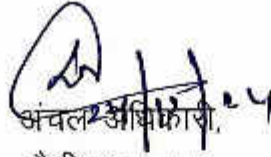
कायालय, अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, पलामू।

केश नं०- 02/2024-25

Ack no- RCMSTAOFF25091372

नाम- सुबीय कुमार
पिता/प्रति- सत्यदेव यादव
ग्राम- सरडीह
मौजा- सरडीह
खाता सं०- 88
प्लॉट सं०- 865, 896 एवं अन्य
रकबा- 5.06 एकड़

केश का प्रकार-विविध वाद संबंधित अभिलेख

क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश पत्रक	अभियुक्ति
24/12/24	आवेदक सुबीय कुमार पिता/प्रति सत्यदेव यादव ग्राम-सरडीह थाना-नौडीहा बाजार, जिला-पलामू ने आवेदन दिया है कि मौजा-सरडीह के खाता सं०-88, प्लॉट सं०-865 एवं अन्य रकबा-5 एकड़, 06 डीसमील, 0 हेक्टर भूमि जिसका जमाबंदी पंजी-11 के पृष्ठ सं०-61/16 पर दर्ज है, जिसका लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक निर्गत है उक्त भूमि का तकनिकी कारणों से ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया है। उक्त आवेदन के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक-31/1/25 को उपस्थापित करें।  अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार। अभिलेख उपस्थापित।	
3/01/25	राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-सरडीह, थाना नं०-379, खाता सं०-88, प्लॉट सं०-865 एवं अन्य रकबा-5 एकड़, 06 डीसमील, 0 हेक्टर खाते कि भूमि है। प्रश्नगत भूमि आवेदक को विक्रय पत्र/खतियान/केवाला सं०- दिनांक-16-5-16 से प्राप्त है। आवेदक द्वारा समर्पित लगान रसीद वर्ष 2015-16 तक का संलग्न है, जिसका ऑफलाईन जमाबंदी मौजा-सरडीह पंजी-11 के पेज सं०-161 भोलूम सं०-16 पर अंकित है। अंचल अमीन द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल-कब्जा शांतिपूर्ण एवं विवाद मुक्त के रूप में है। जिसका प्रतिवेदन संलग्न।	

जाँच प्रतिवेदन के आलोक में आम इस्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक- 10/01/25 को उपस्थापित करें।


अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार।

अभिलेख उपस्थापित।

10/01/25

आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त। आम इस्तेहार के आलोक में किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक/अचल अमीन द्वारा ऑनलाईन जमाबंदी हेतु अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त जमाबंदी का ऑनलाईन इन्द्राज की अनुशंसा की जाती है।

लेखापित वो संशोधित।


अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार।


अंचल अधिकारी,
नौडीहा बाजार।

कार्यालय, अंचल अधिकारी, नौडीहा बाजार, (पलामू)।

राजस्व विविध वाद केश सं०-०२/२५-२५, दिनांक-०३-०१-२५

आम इस्तेहार

आम वो खास को सूचित किया जाता है आवेदक सुबीय कुमार पिता/पति सरसू
ग्रा. १ ग्राम-सरसू, थाना-नौडीहा बाजार, जिला-पलामू ने आवेदन दिया है
कि मौजा-सरसू, के खाता सं०-८८, प्लॉट सं०-८६५ एवं अप्र रकबा-५.०६
ए० भूमि जिसका जमाबंदी पंजी-२ के पृष्ठ सं०-६१/१६ पर दर्ज है, जिसका लगान रसीद
निर्गत है। उक्त भूमि का तकनिकी कारणों से ऑनलाईन में जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रश्नगत भूमि
का ऑनलाईन जमाबंदी कायम करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त भूमि की जमाबंदी से संबंधित आपत्ति की सूचना अंचल कार्यालय, नौडीहा बाजार में
सात दिनों (७) के अन्दर देना सुनिश्चित करें। ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके।

इसे सख्त ताकिद समझे।


अंचल अधिकारी
नौडीहा बाजार।

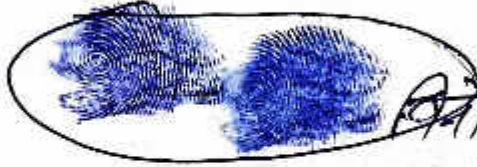


कामराज पत्रिका

मै० सुदृष्टी/२ जालम

राजेश कुमार

ओम प्रकाश विष्णुवर्मा



विनोद कुमार

सुषमा कुमार

बिजय चंद

२७९५११५५६६



मेवा में

श्रीमान अंचल अधिकारी

नौहीरा बाजार प्लॉट 1

पलामू

विषय - खाता संख्या

४४

प्लॉट संख्या

1324, 865, 896, 899, 909, 902, 910
914, 960, 961, 1002, 1323 के संबंध में 1324, 898

महाशय - -

निवेदन पूर्वक कहना है कि रैयत रुद्रदेव यादव पिता / पति रुद्रदेव यादव जो

हल्का 10 के अंतर्गत आने वाले ग्राम सरडीही पोस्ट सरडीही थाना

नौहीरा बाजार जिला पलामू का निवासी है खाता संख्या ४४ प्लॉट

संख्या 5.06 रकबा 5.06 का रसीद ज तक

ऑफलाइन काट रहा था जिसका छाया प्रति आवेदन के साथ संलग्न है परंतु झार

सेवा के साइड पर बेट - 45 - पकाना - ४, शिखर - 2
में 1

अतः श्रीमान से निवेदन है कि इस त्रुटि को सुधार किया जाए इसके लिए श्रीमान का आभारी

रहूंगा/रहूंगी।

सुखदेव कुमार

आपका विश्वासी

प्रस्तावित भूमि का मांग सुखदेव यादव

पिता - स्व रुद्रदेव यादव के नाम से मो ० न० 8292939473

मांग वर्तमान पेजी II के पेज न० 61 पर सरडीही

रकबा 5.06 एकड़ का मांग पकाना है। पोस्ट सरडीही

मौजा - सरडीही

परिवर्तन प्राधिकार ऑफिस

थाना नौहीरा बाजार

पलामू

P.A. No - 12/2008

खाता प्लॉट रकबा

88 865 0.02

896 1.89

898 0.37

899 0.48

909 1.13

902 0.06

910 0.07

914 0.37

960 0.09

961 0.04

1322 0.34

1323 0.13

1324 0.05

5.06 एकड़

प्रस्तावित भूमि रैयती रकबा की है।

मांग पेजी II के अनुसार ऑनलाईन

पेजी II में अंगीत किया जा सकता है।

अतः अंचल भूमि स्वतः

ऑनलाईन किया जा सकता है।

14/8/24
R.S.

सेवा में।

अंचल अधिष्ठाता
नॉर्दीहा बाजार

विषय:- पुंजी ग अचानक होने हेतु जोरदार एक्का कराना
के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में ज्ञात है कि मॉना सरइडीह थाना नॉर्दीहा बाजार थाना सं- 379 रकत 88 जोरदार सं- 865, 896, 898 वी अन्य एक्का 5.06 एक्का मुक्ति ए जोरदार एक्का का समाप्त करे द्वारा दिनांक 16.07.24 को किया गया उन मुक्ति का संख्या मुक्ति 1169 जिला सं. इन्स्टीट्यूट आदि आदि सरइडीह को मुक्ति रकत के पास आंति पूर्वक दायर ज्ञात में है तथा वसिष्ठ मुक्ति से संबंधित किसी प्रकार के विवाद नहीं है। अतः के मुक्ति का पुंजी ग अचानक किया जा सकता है गान्धी परत मुक्ति विवर निम्न है।

मॉना	थाना सं	रकत	जो	एक्का
सरइडीह	नॉर्दीहा बाजार	88	865	0.02
	379	4	896	1.89
		4	898	0.37
			899	0.48
		4	902	0.06
		4	909	1.13
			910	0.07
		4	914	0.39
		4	960	0.09
		4	961	0.04
		4	1322	0.34
		4	1323	0.13
		11	1324	0.05
		1	13	5.06 एक्का

अतः एक्का जोरदार मॉना के अमेर सरइडीह के जोरदार समाप्त।

दिनांक 16.07.2024

अंचल अधिष्ठाता
नॉर्दीहा बाजार

झारखण्ड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
लगान रसीद

V

WP
P.N. 61



जिला का नाम 11/1/1/1
अनुमण्डल का नाम 11/1/1/1
अंचल का नाम नौडीहा बाजार
मौजा 11/1/1/1
थाना वी थाना नम्बर नौडीहा बाजार 375

रसीद क्रमांक JH 36 A 190421
रयत का नाम 4 लेबर 21/6/9
पिता का नाम 3-5 3-5 11/3
जमावन्दी नम्बर

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
88	86-39-1, 8-98-1/1/1/1	5.06 1/2

जोत की सालाना मांग एवं मांग का विवरण (बकाया एवं हाल) चालू वर्ष का

मांग	वार्षिक	बकाया				हाल
		3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष	
लगान	6.50				6.50	24.5-20/1
सेस	1.50				1.50	1.50
*व्याज	3.00				3.00	1.50
चिन्ति	2.00				2.00	2.00
योग	12.00				12.00	12.00

झारखण्ड सरकार

14.70 14.70

अदायगी	बकाया				हाल	अग्रिम
	3 वर्ष से ज्यादा	3 रा वर्ष	2 रा वर्ष	विगत वर्ष		
लगान					24.5-20/1	
सेस					6.50	
*व्याज					1.50	
चिन्ति					3.00	
योग					12.00	
					14.70	14.70

- कुल योग (शब्दों में) 24.5-20/1 6.50 1.50 3.00 2.00
- नाम अदाकर्ता 24.5
- कुल बकाया 24.5

हस्ताक्षर एवं दिनांक
24/11/14

* खाता मालिक को बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।